# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर(राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

(223 आर.टी.एक्ट)

अपील संख्या:–37 / 2021
सी.सी.एम.एस .संख्या:–2021 / 67

उनवान

1. अख्त्यार खाँ पुत्र हिमायत अली
2. आलमा बानो पुत्री हिमायत अली
3. मुख्त्यार खॅ पुत्र हिमायत अली
जातियान मुसलमान गद्दी निवासीयान ग्राम भारजा नदी तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर राजस्थान।

..अपीलांटस्।

बनाम

1. सोबत पुत्र रोशन
2. सुलेमा पुत्र रोशन
3. सिदिक पुत्र ईदया
4. अलीमुदीन पुत्र ईदया
5. आसमीन पुत्री ईदया
6. फरमीन पुत्री ईदया
7. शमशेर पुत्र ईदया

(1 से 7) समस्त जातियान गद्दी मुसलमान निवासयान भारजा नदी तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।

8. तहसीलदार साहब लैण्ड होल्डर जरिये लैण्ड होल्डर तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर राजस्थान।

..रेस्पोडेन्टस्।

उपस्थित:–

1. श्री अजय शेखर अधिवक्ता अपीलांटस्।
2. श्री पैरोकार सरकार रेस्पोडेन्ट संख्या 8।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 12:31:01 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

र आदि

Scanned with CamScanner

पील संख्याः–29/2021 (223 आर.टी.एक्ट)
ी.सी.एम.एस .संख्याः–2021/51

उनवान

1. सोबत पुत्र रोशन
2. सुलेमा पुत्र रोशन
3. सिदिक पुत्र ईदया

समस्त जातियान गद्दी मुसलमान निवासयान भारजा नदी तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर राजस्थान।

...अपीलांटगण।

बनाम

1. अखत्यार खां पुत्र हिमायत अली जाति गद्दी मुसलमान
2. अलीमुद्दीन पुत्र ईदया
3. असमीन पुत्री ईदया
4. आलमा बानो पुत्री हिमायत अली
5. फरमीन पुत्री ईदया
6. मुख्त्यार खान पुत्र हिमायत अली
7. शमशेर पुत्र ईदया

सभी जातियान गद्दी मुसलमान निवासीयान ग्राम भारजा नदी तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।

8. लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।

..रेस्पोडेन्टगण।

उपस्थितः–

1. श्री भोलाशंकर शर्मा अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री आमीर अली अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं0 02,03,05 व 07।
3. श्री अजय शेखर अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं0 01,04 व 06।
4. श्री पैरोकार सरकार रेस्पो0 सं0 08।

--::निर्णय::--

दिनांकः 03.01.2023

1. उक्त दोनों अपील अदालत मातहत उपखण्ड अधि[illegible] [illegible]रना डूंगर के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.06.21 बउनवान स[illegible] [illegible] मलारना डूंगर बनाम अखत्यार, अलीमुददीन व[illegible] [illegible] के विरूद्ध पेश की गई है।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 12:31:01 IST
Reason: SelfAttested



राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

उक्त दोनों अपीलों में पक्षकार, वाद विषयवस्तु व निर्णय व डिक्री एक ही होने से दोनों अपीलों को एक साथ संलग्न कर निर्णय भी एक साथ ही किया जा रहा है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी मलारना डूंगर के समक्ष एक वाद पत्र इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 05 रकबा 1.00 है० ग्राम भारजा नदी में स्थित है, तथा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। विवादित आराजीयात पर प्रतिवादीगण द्वारा अवैध रूप से बिना भूमि का कृषि से अकृषि संपरिवर्तन कराये निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 177 का उल्लंघन होने के कारण उक्त भूमि सिवायचक घोषित किये जाये। मातहत अदालत द्वारा दिनांक 16.06.21 को निर्णय पारित करते हुए विवादित आराजीयात को सिवायचक घोषित कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर दोनों अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

3. अपील संख्या 37 / 2021 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजीयात अपीलांट व रेस्पो० सं० 01 लगायत 07 के संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि है। जो कि खसरा नम्बर 5 रकबा 01.00 है० किस्म [illegible] भारजा नदी में स्थित है। विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 05 को पारिवारिक बंटवारे के अनुसार काश्त किया जा रहा है। खसरा नम्बर 5 के मौके पर 04 हिस्से है। अपीलांट का उत्तरी हिस्से पर काबिज काश्त है। मातहत अदालत ने बिना मौके की जांच किये या बिना साक्ष्य दिये ही सम्पूर्ण भूमि को एक हिस्सा मानते हुए धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उक्त भूमि के विरूद्ध निर्णय कर बेदखली की डिक्री जारी कर दी है। इस मामले में मातहत अदालत द्वारा पक्षकारों की उचित तामील करार बिना ही अत्यधिक जल्दबाजी से निर्णय पारित किया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी मलारना डूंगर के निर्णय दिनांक 16.06.21 को अपास्त करवाया जावें।

4. अपील संख्या 29 / 2021 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वाद पत्र में वादी रेस्पोडेंट तहसीलदार 0.09 है० पर अवैध निर्माण करना बताया है। खसरा नम्बर 5 सं0 कुल किता 32 में दर्ज एक खसरा नम्बर है, एवं उक्त खाते में 12.89 है० भूमि अंकित है जो अपीलांट व रेसपोडेन्ट सं0 01 लगायत 07 के खातेदारों में दर्ज है, ऐसी स्थिति में जो निर्माण मौके पर रेस्पोडेंट तहसीलदार ने बताया है, [illegible] होना करार पाता है। क्योंकि मातहत अदालत ने [illegible] अपने निर्णय में इस [illegible] का जिक किया है कि निर्माण कुल रकबे का 1 / 50 से अधिक हिस्से पर किया जा रहा हैं। जबकि मौके पर किया गया निर्माण [illegible] नहीं है। मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी ने बिना मौके की [illegible] निर्णय पारित

अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 12:31:01 IST
Reason: SelfAttested



Scanned with CamScanner

किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत के निर्णय दिनांक 16.06.21 को अपास्त फरमाया जावें।

5. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

6. मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलांटस् ने अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि धारा 177 के तहत तहसीलदार द्वारा मातहत अदालत में प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है, ना कि दावा पेश किया जाता है। आगे कथन किया कि मातहत अदालत ने दावा पेश होने के महज 10 दिन में विवाद का निर्णय कर दिया। पक्षकारान को उचित सुनवाई का मौका नही दिया गया व अदालत मातहत द्वारा धारा 177 की कार्यवाही से पूर्व धारा 178 की कार्यवाही करने का मौका ही नहीं दिया गया। जो कि मातहत अदालत की अत्यधिक तत्परता को दर्शाता है। अतः मातहत अदालत का निर्णय दिनांक 16.06.21 को अपास्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

7. जवाब बहस में पैरोकार सरकार ने कथन किया कि अपीलांटगण ने बिना भूमि का कृषि से अकृषि में संपरिवर्तन कराये अवैध रूप से निर्माण कार्य किया है। जो कि धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन हैं मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी मलारना डूंगर द्वारा पारित निर्णय सही किया गया। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

8. अधिवक्ता अपीलांट एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावलियों में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम भारजा गददी पटवार इल्का शेषा तहसील मलारना डूंगर में अपीलांटगण के साथ अन्य खातेदारान के नाम कुल किता 32 रकबा 12.89 है0 खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। आराजी अभी संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अनुसार विधिक रूप से विभाजन नही हो जाता है, प्रत्येक काश्तकार का प्रत्येक इन्च पर कब्जा माना जाता है।

9. तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 177 के मुख्य कथन अनुसार मौके पर प्रतिवादीगण 01 लगायत 11 द्वारा 0.09 है0 पर बिना संपरिवर्तन निर्माण कार्य आवासीय किस्म का किया जा रहा है। अदालत मातहत द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है कि **" प्रतिवादी द्वारा किया गया निर्माण कुल रकबे के 1/50 भाग से अधिक है"** जो कि बिना राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किए ही अविधिक रूप से वाद को डिक्री किया है। विधिक विश्लेषण निम्न प्रकार है:–

प्रथमः–आराजी अभी संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 53 के अनुसार जब तक विधिक रूप से विभाजन नहीं हो जाता है

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 12:31:01 IST
Reason: SelfAttested



Scanned with CamScanner

प्रत्येक काश्तकार का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाता है। मौके पर प्रतिवादीगण 01 लगायत 11 द्वारा 0.09 है० पर बिना संपरिवर्तन निर्माण कार्य आवासीय किस्म का किया जा रहा है। इस प्रकार कुल रकवा 12.89 है० में 0.09 है० पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो कुल क्षेत्रफल का मात्र 1/142 हिस्से से भी कम हैं।

10. द्वितीयः–राजस्थान भूराजस्व ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के संपरिवर्तन नियम 2007 के उपनियम 6 "क" निम्नानुसार हैः–

"**कृषि कारोबार कियाकलाप के लिये खातेदारी भूमि का उपयोग**– इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते भी, कोई खातेदार अभिधारी उसकी खातेदारी भूमि के क्षेत्र का 50 प्रतिशत तक कृषि कारबार कियाकलापों के लिये उपयोग कर सकेगा और ऐसे कियाकलाप कृषि संक्रिया के रूप में माने जायेंगें और कोई संपरिवर्तन अपेक्षित नहीं होगा। इस प्रकार उपयोग में लिया गया क्षेत्र उसकी खातेदारी में बना रहेगा।"

11. उक्त कानूनी प्रावधानों से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा पेश किया प्रार्थना पत्र धारा 177 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, के आधार पर वाद पत्र बिना किसी कानूनी प्रावधानों के व कानूनी प्रावधानों के विपरीत डिक्री किया है, जो अपास्त योग्य है।

12. अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट योग्य पाए जाने से स्वीकार की जाती है। अदालत मातहत उपखण्ड़ अधिकारी मलारना डूंगर के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.06.21 बउनवान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर(तहसीलदार) मलारना डूंगर बनाम अखत्यार, अलीमुददीन वगैरह को निरस्त किया जाता है। यदि विवादित आराजीयात को सिवायचक दर्ज रिकार्ड कर दिया गया हो तो, उसे कलमजन कर अपीलांटगण के खाते में दर्ज रिकार्ड करने के आदेश दिए जाते है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी की हो।

13. यह निर्णय आज दिनांक 03.01.2023 को सरेइजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(हरि राम मीना) 03.01.2023
राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 12:31:01 IST
Reason: SelfAttested



Scanned with CamScanner